

रोजगार प्रशिक्षण योजना

i. योजना के प्रावधान:

- ❖ बोर्ड द्वारा निबंधित लाभुकों एवं परिवार के अधिकतम दो सदस्यों के नियोजन हेतु वांछित कुशलता में वृद्धि के लिए उनकी इच्छा, योग्यता एवं स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के आधार पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में अकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उनके लिए भोजनादि की व्यवस्था भी की जाती है।
- ❖ भोजनादि पर व्यय हेतु 100/- रु अधिकतम प्रतिदिन दिया जाता है।

ii. योजना की पात्रता :

- ❖ निबंधित लाभुकों के परिवार के अधिकतम दो, पति/पत्नी तथा पुत्र/पुत्री को।

iii. योजनान्तर्गत प्रगति :

- ❖ योजनान्तर्गत बोर्ड द्वारा लाभुकों को प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार डै के अंतर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में सूचीबद्ध टज्चे में अर्हता प्राप्त लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

iv. रोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रमंडलवार प्रगति विवरणी

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	निबंधित लाभुकों की संख्या (माह अप्रैल, 2014 तक)	योजनान्तर्गत वर्षवार प्रगति विवरणी			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल, 2014 तक)
1	उपश्रमायुक्त, राँची	48,425	-	-	55	55
2	उपश्रमायुक्त, जमशेदपुर	44,459	-	-	-	-
3	उपश्रमायुक्त, दुमका	35,650	-	-	920	-
4	उपश्रमायुक्त, हजारीबाग	61,758	-	20	-	-
5	उपश्रमायुक्त, बोकारो	38,496	-	32	51	-
कुल योग		2,28,788	-	52	1026	55

- बोर्ड के द्वारा लाभुकों को रोजगार प्रशिक्षण योजना से लाभान्वित करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा राँची व दुमका में संचालित मिनी टूल रूम के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें वर्तमान में Fitter Technology, Weilding Technology, Programming & Operation of CNC Lathe एवं Inspection and Quality Control में छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 में मिनी टूल रूम, टाटीसिल्वे, राँची में 23 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा Fitter Technology पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है एवं पुनः 88 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।